भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

बिहार BIHAR AE 273894

क्रम सं० 4293 तिथि 28-8-2019 मूल्य 1000

क्रेता का नाम एवं पता

ब्रजनन्दन प्र० सिंह मुद्रांक विक्रेता
ला० नं०-2987 समाहरणालय, पटना

16 AUG 2019

एकरारनामा अभिलेख

यह एकरारनाम दिनांक 28.08.2019 को मेसर्स जय माँ दुर्गा ट्रेवल्स, पता- कंकड़बाग, डिफेन्स कॉलोनी, क्वॉटर नं0 80, पटना-800020 एवं इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर श्री धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र- स्वर्गीय चन्द्रशेखर प्रसाद शर्मा हैं (जो अब प्रथम पक्ष कहलाएगें)

एवं

वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि अवर सचिव (लेखा) -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्री विकाश कुमार पाण्डेय, पुत्र- स्वर्गीय उमानाथ पाण्डेय (जो अब द्वितीय पक्ष कहलाएंगे) के बीच संपन्न हो रहा है ।

जबकि द्वितीय पक्ष के माँग पर प्रथम पक्ष द्वारा वित्त विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय एवं इससे संलग्न कार्यालयों हेतु माँग किये जाने पर मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध करवाने का अनुरोध निम्न शर्तों, बंधेजो एवं दायित्वों के आधार पर स्वीकार किया गया है ।

Dharmendra Kumar
Proprietor
28/8/19

28/8/19
अवर सचिव
-सह-

शर्तें, बंधेजें एवं दायित्वः-

(क) **वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता के दायित्व** :-

1. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे ।
2. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे की वाहन एवं चालक की सेवा वित्त विभाग या उसके पदाधिकारी/कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करायेंगे । 15 मिनट से ज्यादा की विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता से किया जायेगा ।
3. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता संविदा में लिखित शर्त्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे ।
4. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता आपूर्त्ति किये गये वाहन का Maintenance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगे ।
5. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता, आपूर्त्ति किया गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर इंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे ।
6. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे । उक्त स्थिति में वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता से की जायेगी ।
7. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी ।
8. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की हीं सेवा प्रदान करेंगे ।
9. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आवंटित किये गये कर्मी का पुलिस Verification कराया जायेगा ।
10. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी से हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे । ऐसा नहीं करने पर Pannel Provision Impose किया जायेगा ।
11. वाहन आपूर्त्तिकत्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे ।
12. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए ।
13. आपूर्त्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से दो साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए । वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण पत्र, Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ, PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था

For ...
Dharmendra Kumar
28/8/19 Proprietor

T.S. 28/8/19 2

अवर सचिव
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिय आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए ।

14. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ-सुथरा एवं हाईजेनिक स्थिति में होनी चाहिए ।
15. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए ।
16. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हौर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीसनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।
17. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत समय एवं स्थान पर खड़ा होना चाहिए । यदि वाहन को पेट्रॉल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिये बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्त्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूतिकर्त्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है ।
18. वाहन में मोबाईल चार्जर, टिशु पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महशूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए ।
19. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence की छायाप्रति विभाग में जमा करना होगा ।
20. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा ।

<u>प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व</u> : -

वाहन आपूतिकर्त्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे-

1. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थि नहीं होंगे ।
2. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उन व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा । ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा शर्त्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा । ऐसी गलती बार-बार दोहराने पर निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा ।

    i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्त्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियु पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो ।
    ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना ।

Dharmendra Kumar 28/8/19
Proprietor

28/8/
(अपर सचिव)
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना

3. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे विभाग/पदाधि कभी भी संपर्क कर सकें ।
4. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना व आपूतिकर्त्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी ।
5. चालक अपनी कार्यवधि के दौरान हमेशा विभाग संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे ।
6. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है ।
7. चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि वित्त विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे ।
8. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपि नहीं होंगे । यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त सं को रद्द कर दे ।
9. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आ सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्त्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इसपर समु कार्रवाई करेंगे ।
10. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात-चीत एवं कार्यचालन के समय मोबाईल का उप स्वीकार्य नहीं होगा । आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा मोबाईल का उपयोग कम-से-कम समय के लिये कर सकते हैं ।
11. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Atte करने का निदेश दिया जाता है, तो चालक अतिथि को अपने मोबाईल नम्बर एवं व नंबर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे । मोबाईल एवं SMS पर । वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।
12. चालक एवं वाहन को तुरन्त-तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे किसी होने व बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी जानी चाहिए ।

<u>नियमों का अनुपालन एवं कर भुगतान:-</u>

1. किराया चार्ज में सभी इंधन खर्च, अनुरक्षण कल-पूर्जो सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा ।

2. वाहन आपूतिकर्त्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ लेगा । विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेवार नहीं होगा ।

3. वाहन आपूतिकर्त्ता थर्ड पार्टी द्वारा किया गया दावा एवं वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार वित्त विभाग के कर्मी को होने वाले नुकसान के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे ।

Dharmendra Verma
28/8/19
Proprietor

28/8/2019
अवर सचिव
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

4. वित्त विभाग चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाना, के लिये जिम्मेवार नहीं होगा । चालक एवं वाहन आपूतिकर्त्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्त्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे । किसी भी त्रुटि के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होंगे ।

5. वाहन आपूतिकर्त्ता श्रम कानून विशेष कर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, Contract Labour (R&A) Act, Workmen Compensation Act etc. का अनुपालन यथा समय सुनिश्चित करेंगे । वाहन आपूर्तिकर्त्ता के कर्मी/चालक वित्त विभाग के कर्मी नहीं माने जायेंगे । अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूतिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी ।

6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिये वाहन आपूतिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूतिकर्त्ता की होगी । ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन वित्त विभाग को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा ।

8. वित्त विभाग द्वारा वाहन को कार्य के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर वित्त विभाग के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा । वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालन, खराब ब्रेक/ब्रेक फेल के विरूद्ध सुनिश्चित की जायेगी ।

9. वाहन आपूर्तिकर्त्ता आपूर्त्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे । जितने दिन के लिय ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन के लिये Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी ।

10. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरंभ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरांत वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी । किसी भी स्थिति में शाम को कार्यस्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान वित्त विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा और न हीं उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा ।

28/8/2019

अवर सचिव

–सह–

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना

Proprietor
28/8/19

11. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

12. वित्त विभाग की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माइलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे । माइलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की कोई अतिरिक्त स्थान से ।

13. वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं वित्त विभाग वाहन आपूर्तिकर्त्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा ।

14. Toll Tax, Octroi, Parking Charges and other statutory levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत बिल/कैस मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा ।

<u>अतिरिक्त कि०मी० का भुगतान</u>

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी । यात्रा के लिये गैरेज से या गाड़ी को रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिये उपयोग करना शुरू करेंगे उस समय का कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरांत पुनः कि०मी० संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे ।
3. वित्त विभाग द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्त्ता को 1500 कि०मी० तक के परिचालन के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा । 1500 कि०मी० से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि०मी० का प्रति कि०मी० के दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा ।
4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे । वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जाएगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी ।
5. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार GST – TDS , Income Tax – TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित करो की विहित दरों से कटौती की जायेगी ।

Dharmendra Verma
28/8/19 Proprietor

28/8/2019

अवर सचिव
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

6. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता अपने संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जिनसे वित्त विभाग द्वारा संपर्क किया जायेगा ।
7. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वित्त विभाग के लेखा शाखा में एक उपस्थिति पंजी रखी जायेगी जिसपर प्रतिदिन चालक द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को चालक अद्यतन लॉग बुक वित्त विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा लॉग बुक जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/- रूपया के दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी ।
8. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है, तो संविदा में तय किये गये प्रति कि०मी० के दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिये खाने एवं रहने के प्रबंध करने पर इसपर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।
9. जब भी जितनी संख्या में वाहन की मांग की जायेगी फर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समये के अंदर मांग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध कराना होगा ।

10. यह एकरारनामा दिनांक 01.09.2019 से 31.08.2020 तक की अवधि के लिये लागू रहेगा । एवं प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के आपसी सहमति से उपर्युक्त अवधि को अगले एक साल के लिये पुनः बढ़ाया जा सकता है ।

11. किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा ।

12. द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा की मूल प्रति रखेंगे एवं प्रथम पक्ष को मूल प्रति की छाया प्रति दी जाएगी ।

वाहन आपूर्ति हेतु निर्धारित दर

वाहन का मासिक दर (ईंधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि०मी० प्रति माह (without GST)	1500 कि०मी० के बाद प्रति कि0मी0 दर (without GST)
(क)	इनोवा, टाटा सफारी-ए०सी०	@ Rs. 47,995/-	@ Rs. 7.50 Per K.M
(ख)	स्कॉर्पियो ए०सी०	@ Rs. 37,555/-	@ Rs. 7.50 Per K.M
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर-ए०सी०	@ Rs. 30,950/-	@ Rs. 7.50 Per K.M

T.S. [signature] 28/8/2019

Dharmendra Kumar [signature]
28/8/19 Proprietor

अवर सचिव
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना

दैनिक भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दर Minimum Chargeable KM Per Day = 200 KM		
क्र०	वाहन का विवरण	Basic Rate Per KM (without GST)
(क)	इनोवा, टाटा सफारी - ए०सी०	@ Rs. 14 /- Per K.M.
(ख)	स्कॉर्पियो ए०सी०	@ Rs. 12 /- Per K.M.
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर- ए०सी०	@ Rs. 10/- Per K.M.

दोनों पक्ष स्वस्थ मानसिक स्थिति में, बिना किसी दबाव या अवांछित प्रभाव में निम्न् वर्णित गवाहों के उपस्थिति मे इस एकरारनामा को स्वीकार करते हुए अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं ।

Dharmendra Kumar
28/8/19 Proprietor

हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि का

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

B. Roy 28/8/2019

हस्ताक्षर
द्वितीय पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि का

(श्री विकाश कुमार पाण्डेय)
अवर सचिव
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
वित्त विभाग, बिहार, पटना

गवाह 1. Rishi Kant
28/08/19

Rishi Kant
At- Harnichak, Anisabad
Patna. Bihar

गवाह 2.

(श्री सुधीर कुमार जोशी)
सहायक, वित्त विभाग,